1037 2/4 150

...AR PRADESH

INDIA NON JUDICIAL

१५० रु. Rs 150

भारत

एक सौ पचास रुपया ONE HUNDRED & FIFTY RUPEES

हम कि श्री यूसफ अली, महरदीन व समय दीन व बूढ़ा पुत्र करमू पेशा खेती जाति जाट मुसलमान निवासी पसौंडा परगना लोनी जिला मेरठ के हैं ।

जो कि मवाज़ी दो बीघा पांच बिस्वा २।) पक्की भूमि यानि छै बीघा पन्द्रह बिस्वा खाम भूमि जो छै हज़ार आठ सौ छै सही एक बटा चार ६८०६ $\frac{१}{४}$ वर्ग गज़ है । मुतालिका नम्बरी शिजरा खसरा सहराई $\frac{८२५}{२।)}$ स्थित ग्राम पसौंडा परगना लोनी जिला मेरठ के मुकिरान बरूफे नुक्स कानूनी व वाकाती बिना किसी अन्य व्यक्ति की शरकत के स्वयं ओ जोत के मालिक काबिज भूमिधर हैं जो हर प्रकार के बन्धक भार सरकारी देनदारी तकावी आदि से सुरक्षित है । आज तक न एक्वायर हुई है न एक्वायरी का कोई नोटिस मिला है । मुकिरान के अलावा और कोई व्यक्ति न काबिज है न शरीक है । बेचने का पूरा २ अधिकार है । उक्त भूमि हमारे चक से बाहर है । प्रबन्ध काश्त भली प्रकार से नहीं कर पाते बेचने में फायदा है । कीमत माकूल मिल रही है जिसके रुपये से हम और ज़मीन खरीद रहे हैं जिसमें हमारा वारसान हमारे का विशेष लाभ है। अत: हमने अपनी खुशी रजामन्दी शुद्ध बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियों के उक्त नम्बर $\frac{८२५}{२।)}$ यानि ६८०६ $\frac{१}{४}$ वर्ग गज़ को मये हमगी तमामी हकूक काश्त भूमिधरी मालिकाना दाखली खारजी व जोत कब्जा सिंचाई कूप अदायगी मालगुजारी सरकार बमये जिन्स मौजूदा गर्ज कि जो कुछ भी उससे सम्बन्धित है को आज की तिथि से बदले मुबलिग दस हज़ार छै सौ पच्चीस (१०६२५) रुपये आधे जिसके मुबलिग ५३१२।।) । पांच हज़ार तीन सौ बारह रुपये आठ आने। होते हैं मैं दैवीदयाल मैटिल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० ६बी ।४ पूरबी मार्ग राजेन्द्र नगर नई दिल्ली ५. बज़रिये श्री देवकुमार अग्रवाल डाइरेक्टर को बे कतई कर दी बेच दी । ज़रे समन बतफ्सील कि मुबलिग १२५०) नकद पेशगी मकान पर बमुजिब इकरारनामा माहदा बे कतई तहरीरी १३।२।१९६० ई० वसूल पा चुके हैं । बाकी मुबलिग ९३७५) (नौ हज़ार तीन सौ पिचहत्तर) रुपये

[illegible]

10625

[illegible]	[illegible]	फीस्वाना	[illegible]
1021	31	124	1100

श्री ...... प्रभु [illegible]

पुत्र ...... [illegible]

पेशा ...... खेती

निवास ग्राम ...... [illegible]

दस्तावेज आज ...... [illegible]

[illegible] में आज बतारीख 21/4/60

...... बजे के मध्य के [illegible]

21/4/60

वि॰ अ॰ [illegible]

यह दस्तावेज की तकमील से व बाबत [illegible] हवालत जो [illegible] भ से है मेरे सामने गिनकर दिये जाने [illegible]

१०६२५

[illegible] सौ पचहत्तर ००

[illegible]

[illegible]

[illegible] मजकूर को

नं॰	
पुत्र श्री	[illegible]
पेशा	खेती
निवासी	[illegible]
[illegible]	

व श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

पेशा [illegible] निवासी [illegible]

ने की शनाख्त [illegible] का संतोष कर लिया है

21/4/60

ऊपर के चिन्ह अंगूठे मेरी गवाह [illegible]

के शिनाख्त पूर्वक [illegible] है

इस दस्तावेज में [illegible] स्टाम्प

कीमती ३३/ रु॰ म ...... लगाये गये हैं

[illegible]

RADESH

INDIA NON JUDICIAL

१५० रु.

Rs 150

भारत

एक सौ पचास रुपया ONE HUNDRED & FIFTY RUPEES

अब विक्रय भूमि की जोत हकूक काश्त भूमिधरी व जिन्स तथा मूल्य धन से हमारा वारसान हमारे का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है। न कभी होगा। विक्रय नम्बर की भूमि तथा मौजूदा जिन्स को अपने कब्जे से निकालकर कब्जे खरीदार दे दी जिसकी वह मालिक कामिल बन गई है। मालकान अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लावें। कागजात माल से अपना नाम खारिज कराकर खरीदार का नाम दर्ज करा देंगे। वरना वह स्वयं करा लें। यदि बवजह बे इस्तहकाकी मुकिरान बायान दावेदारी शरीम व शरीक वारसान हमारे के या किसी कानूनी नुक्स बवजह नामालूम से विक्रय भूमि कब्जे खरीदार से निकल जावेगी तो मालिकान को अधिकार होगा कि अपना तमाम रुपया मये सूद कानूनी जुमला हरजा खरचा लागत तामीरात अपनी की बजरिये अदालत मजाज हमारी जात खास व विक्रय भूमि व अन्य चल व अचल सम्पत्ति हमारी से जिस प्रकार चाहें

TAHSILDAR
GHAZIABAD
19-4-60

DESH

वसूल कर लें कुछ उज्र न होगा। अत: यह बैनामा कतई लिख दिया प्रमाण

रहे समय पर काम आवे।

हदूदरबा विक्रय नम्बर ८२५/२१

पूरब	नम्बर खसरा ८२१
पश्चिम	नम्बर खसरा ८२१ व ८२२
उत्तर	नम्बर खसरा ८१७, ८२६, ८२७
दक्षिण	नम्बर खसरा ८२३, ८२४

तहरीर तारीख २०।४।१९६० ई०   बमसविदे श्यामलाल अरजी नवीस

गाजियाबाद।

टाइप किया गया द्वारा परमानन्द

३० राइट गंज, गाजियाबाद।

H/11

[illegible] १९/४/६० [illegible] ३०/- [illegible] 678 [illegible]

J. K. [illegible]
TAHSILDAR
GHAZIABAD.
19-4-60

बही नं० १ जिल्द १०२३ के सफहा [illegible] से ३२८ पै
नं० १८३६ पर आज दिनांक २. ५. ६० को
रजिस्ट्री की गई।

[illegible]
SR

[illegible]
[illegible]/60